

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 239166

पटना, दिनांक 22/7/15

भा.वि.-7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,  
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
बिहार ।

विषय:- सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन के संबंध में ।

- प्रसंग:-
1. सामाजिक वानिकी अंतर्गत वृक्षारोपण के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP),
  2. पर्यावरण एवं वन विभाग का जापांक 189 दिनांक 26.06.2015,
  3. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 11017/17/2008-NREGA (UN) (Part - II) दिनांक 31.07.2014 का Annexure- 4.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में विभाग द्वारा Standard Operating Procedure (SOP) का निर्माण किया गया था जिसमें सामाजिक वानिकी से संबंधित प्राक्कलन संलग्न था । दिनांक 23.06.2015 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये निर्णय एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक J-11011/01/2014-RE1 दिनांक 03.07.2015 के आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत मानक प्राक्कलन में निम्न संशोधन किया जाता है:-

1. ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान - मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के प्राक्कलन में पटवन हेतु ट्रॉली एवं ट्रैक्टर सहित घड़े का प्रावधान मात्र दक्षिण बिहार के जिलों हेतु किया गया था । ट्रॉली हेतु 5000/- तथा 50/- रुपये प्रति घड़े की दर से कुल 200 घड़े हेतु 10,000/- रुपये का प्रावधान किया गया है । इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गये निर्देश के आलोक में ट्रॉली एवं घड़े का प्रावधान पूरे बिहार में आवश्यकतानुसार किया जा सकता है ।
2. गैवियन का प्रावधान - विभाग द्वारा पूर्व निर्गत प्राक्कलन में गैवियन का प्रावधान नहीं किया गया है । भारत सरकार के उपर्युक्त प्रांसगिक पत्र के Annexure- 4 के मानक प्राक्कलन के

K. J.  
22/7/15

क्रम 11 के माध्यम से पौधों की उत्तर जीविता सुनिश्चित करने हेतु गैवियन के प्रयोग का निदेश दिया गया है ।

इसके लिये स्थानीय सामाग्री/बाँस से निर्मित प्रति गैवियन हेतु अधिकतम 350/- रुपये की राशि का निर्धारण किया गया है । इस राशि अंतर्गत न्यूनतम 2.0 फीट x 2.0 फीट x 4 फीट (above ground) के आयतन का गैवियन निर्माण किया जाना सुनिश्चित कर इस हेतु प्राक्कलन में 200 x 350 = 70000/- रुपये का प्रावधान किया जाता है ।

3. खाद की आवश्यकता - पूर्व में निर्गत मानक प्राक्कलन में लगातार 5 वर्षों तक पूरे वर्ष (12 माह) खाद का प्रावधान किया गया है । इसमें प्रथम वर्ष में 4320/- रुपये तथा शेष चार वर्षों के लिए 2160/- रुपये का प्रावधान किया गया था । अर्थात् पाँच वर्षों में कुल 12960/- रुपये का प्रावधान था ।


बिहार की वर्तमान जलवायु के अनुसार दिसम्बर और जनवरी माह पौधों के लिए dormant अवधि होती है । इस अवधि में खाद की आवश्यकता नहीं होती है । इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 माह के स्थान पर 10 माह (दिसम्बर और जनवरी छोड़ कर) के लिए ही खाद का प्रावधान अनुमान्य किया जाता है । इस प्रकार प्रथम वर्ष में खाद पर होने वाला कुल व्यय 3600/- रुपये एवं शेष चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 1800/- रुपये होगा । कुल पाँच वर्षों में 10800/- रुपये खर्च होगा । तदनुसार प्राक्कलन में राशि प्रावधानित की जाती है ।

4. पौधों के क्रय के संबंध में - इस संबंध में विभाग द्वारा पत्रांक 236474 दिनांक 02.07.2015 के माध्यम से निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

- I. पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न पौधशालाओं में जिलावार उपलब्ध कुल 5109165 पौधों एवं उनके दर की सूची प्रदान की गयी है जिसे उक्त पत्र के साथ संलग्न किया गया है । सभी उप विकास आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि Facilitator सर्वप्रथम इन सरकारी नर्सरी से ही पौधों का उठाव पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में करेंगे । पौधों की न्यूनतम उँचाई 3 फीट होगी ।
- II. सरकारी नर्सरी में पौधे उपलब्ध नहीं होने अथवा उच्च गुणवत्ता के नहीं होने पर स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator द्वारा किया जाएगा ।
- III. उपरोक्त क्रमांक I एवं II में पौधे अनुपलब्ध होने की स्थिति में राज्य में स्थापित नर्सरी से पौधों का उठाव Facilitator के माध्यम से किया जायेगा ।
- IV. किसी भी परिस्थिति में राज्य के बाहर से पौधों का क्रय नहीं किया जायेगा ।

5. Facilitator के संबंध में - जिन जिलों में Facilitator द्वारा सामाजिक वानिकी का कार्य संपादन नहीं किया जा रहा है, उन जिलों के उप विकास आयुक्त पूर्व की भाँति/ पर्यावरण एवं वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य संपादित करायेंगे ।






6. स्तूप का निर्माण - जिस नहर तट/पथतट/तटबंध के प्रस्तावित वृक्षारोपण स्थानों पर जल-जमाव की समस्या हो उन स्थानों पर जल-जमाव की सम्भावित गहराई के मद्देनजर 0.60 मीटर या 0.75 मीटर या 1.0 मीटर उंचाई के स्तूप का निर्माण स्थानीय मृदा के प्रयोग से किया जा सकता है। यह स्थल विशेष की स्थिति पर निर्भर करेगा एवं स्थानीय कनीय अभियन्ता द्वारा आवश्यकतानुसार स्थल निरीक्षण के पश्चात स्तूप की संख्या एवं साईज का निर्णय लिया जायेगा। इन स्थलों पर 3 फीट या उसे बड़े पौधों का उपयोग किया जाय। एच-बॉस के पौधे नहीं लगाये जाय। जल जमाव वाले क्षेत्र में जामुन अर्जून अथवा पानी गम्हार के पौधों को प्राथमिकता दी जाय।

Base Diameter x Height x Top Diameter	ईकाई	मानव दिवस
1.8 मी x 0.60 मी. X 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.29
आकार 2.1 मी. X 0.75 मी. X 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.46
आकार 2.6 मी. X 1.0 मी. X 0.6 मी. सामान्य मृदा	प्रति स्तूप	0.89

कृपया इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
22/11/15  
(प्रदीप कुमार)  
सचिव



  
22/11/15

सामाजिक वानिकी (सरकारी जमीन पर, फलदार पौधा की खेती के लिए)  
मानक प्राक्कलन (1 इकाई = 200 पौधे)

जिला ..... प्रखंड ..... ग्राम पंचायत.....  
..... (स्थान) से ..... (स्थान) तक पौधारोपण.....

क्रम सं०	कार्य का विवरण	वांछित मात्रा	दर (रुपये में)	कुल राशि (रुपये में)	
1	2	3	4	5	
1	200 लिनियर पौधारोपण की सुरक्षा एवं रख-रखाव हेतु (2 वनपोषक)	भुगतान जीवित पौधों के आधार पर प्रति माह 200 पौधों के लिए, 5 वर्षों तक = (200X12X5)@ 7 प्रति पौधे प्रति वनपोषक	7 प्रति पौधे प्रति माह	168000	
2	200 गड़दा खोदने हेतु	बड़े फल वृक्ष 60X60X80CM	@12	1200	
		छोटे वृक्ष 30X30X30CM	@1.50	150	
3	200 पौधा खरीद करने हेतु खर्च	सिर्फ कलमी एवं बीजू बड़े फल वृक्ष	@35	3500	
		छोटे फल, बांस एवं लकड़ी वृक्ष	@15	1500	
4	वांछित चापाकल लगाने हेतु	चापाकल 1		10800	
5	खाद्य एवं किटनाशक मात्रा 200 पौधा के लिए औसत दर (दिसम्बर-जनवरी छोड़कर)	वर्ष 1 में- 15 दिन के अंतराल पर	200X20X0.9	3600	
		वर्ष 2 में- 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800	
		वर्ष 3 में- 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800	
		वर्ष 4 में- 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800	
		वर्ष 5 में- 30 दिन के अंतराल पर	200X10X0.9	1800	
6	पानी डोने हेतु ट्रॉली का दर	1 ट्रॉली	5000	5000	
7	मिट्टी के घड़े का दर	1 घड़ा प्रति पौधा	200X50	10000	
8	200 पौधों में गैवियन के लिए (मरम्मती सहित)	350 रुपये प्रति गैवियन (2 फीट X 2 फीट X 4 फीट जमीन के उपर)	200X350	70000	
				280750	
9	योजना का आकस्मिक मद		2%	5615	
				कुल	286365

नोट- 1. आकस्मिकता मद के कुल 5615 रुपये में से 4534 रुपये फैंसिलिटेटर को शुल्क के रूप में प्रति माह बराबर किस्तों में पाँच वर्षों तक भुगतान किया जाएगा। मद के शेष 1081 रुपये सूचना-पट आदि के निर्माण में खर्च किये जायेंगे।  
2. चापाकल हेतु मानक प्राक्कलन संलग्न किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त स्थानीय आवश्यकता के अनुसार चापाकल के प्राक्कलन में संशोधन कर सकते हैं।

पंचायत तकनीकी सहायक

कनीय अभियंता

पौधारोपण में जुड़ने वाले वनपोषकों का नाम, जॉबकार्ड सं० एवं पता :-

1

2

पंचायत रोजगार सेवक / कार्यकम पदाधिकारी

22/01/18

**MODEL ESTIMATE FOR**

**Construction of 40mm dia X 14 meter (Average) deep hand operated T/well  
with shallow well Hand Pump with GI & PVC Pipe, Platform and drain for the year 2012-13.**

(Materials should confirm to following B.I.S Specifications with latest amendments. Rates are inclusive of Contractor's Profit & Overheads-15%), Octroi, Royalty,(VAT-5%), All Taxes, cess etc and FOR anywhere in State of Bihar.

S. N.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
<b>Part 'A' Cost of Materials</b>					
1	ISI mark shallow well Hand Pump conforming to IS : 8035/1999 (1st revision) with latest amendment.	1 No.	Each	Rs. 3,429.00	Rs.3,429.00
2	40mm dia best quality UPVC pipe conforming to IS:12818-1983/1992	6 M	P/M	Rs 80.00	Rs.480.00
3	40mm dia light quality GI Pipe conforming to IS:1239 (Part-2) 2011	6 M	P/M	Rs. 231.00	Rs.1,386.00
4	40mm dia X 2 mtr long UPVC RIBEED Strainer conforming to IS:12818-1983/1992	1 Nos.	Each	Rs 246.00	Rs 246.00
5	Supplying labour and materials for construction precast P.C.C. (1:2:4) platform of size 1.2mx1.2m with top and side finished with 12 mm cement plaster (1:3) with neat cement punning.	1 No	Each	Rs.1,859.00	Rs.1,859.00
6	Providing all material and construction 1 P.C.C. (1:2:4) UNICEF design drain for disposal of water etc. all complete.	3 M	P/M	Rs 327.00	Rs.981.00
<b>TOTAL 'A'---</b>					<b>Rs.8,381.00</b>
<b>Part 'B' labour Cost (Classification of soil item 'A')</b>					
1	Boring by jet dheki by suitable cutter or reduce as the case may be lowering 40mm GI Pipe & 40mm dia UPVC pipe & strainer of standard quality iron shoe, plug & socket etc. all complete including providing all tools and plants required for the job as per specification and direction of the engineer in charge.				
	(i) 0 to 30.5m				
	(a) For 40 mm dia GI Pipe	14.0 M	P/M	Rs.96.72	Rs.1,354.08
2	Providing all labour & tools and fitting & fixing Shallow well hand pump over newly skunked T/Well all Complete.	1 No.	Each	Rs.46.00	Rs.46.00
5	Supplying labour and developing the T/Well to have sand free discharge all complete as per direction of E/I	1 No.	Each	Rs.354.25	Rs.354.25
6	Transportation of materials & tools from Store to work site and carrying back the surplus materials if any.	1 No.	Each	Rs 287.50	Rs.287.50
<b>TOTAL 'B'---</b>					<b>Rs.2,041.83</b>
<b>TOTAL 'A' + 'B' =</b>					<b>Rs.10,422.83</b>
<b>Add 1% labour cess (except cost of Platform &amp; drain)</b>					<b>Rs.75.83</b>
<b>Add 1% contingency</b>					<b>Rs.104.23</b>
<b>Cost of One No. T/well</b>					<b>Rs.10,602.89</b>
<b>Say</b>					<b>Rs.10,603.00</b>

K. K. J.  
22/2/13

**MODEL ESTIMATE FOR**

**Construction of 40mm dia X 26 meter (Average) deep hand operated T/well  
with shallow well Hand Pump with GI & PVC Pipe, Platform and drain for the year 2012-13.**

**(Materials should confirm to following B.I.S Specifications with latest amendments. Rates are inclusive of  
(Contractor's Profit & Overheads-15%), Octroi, Royalty,(VAT-5%), All Taxes, cess etc and FOR anywhere in  
State of Bihar.**

S. N.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
<b>Part 'A' Cost of Materials</b>					
1	ISI mark shallow well Hand Pump conforming to IS : 8035/1999 (1st revision) with latest amendment.	1 No.	Each	Rs. 3,429.00	Rs.3,429.00
2	40mm dia best quality UPVC pipe conforming to IS:12818-1983/1992	18 M	P/M	Rs.80.00	Rs.1,440.00
3	40mm dia light quality GI Pipe conforming to IS:1239 (Part-2) 2011	6 M	P/M	Rs. 231.00	Rs.1,386.00
4	40mm dia X 2 mtr long UPVC RIBBED Strainer conforming to IS:12818-1983/1992	1 Nos.	Each	Rs.246.00	Rs.246.00
5	Supplying labour and materials for construction precast P.C.C. (1:2:4) platform of size 1.2mx1.2m with top and side finished with 12 mm cement plaster (1:3) with neat cement punning.	1 No	Each	Rs.1,859.00	Rs.1,859.00
6	Providing all material and construction 1 P.C.C. (1:2:4) UNICEF design drain for disposal of water etc. all complete.	3 M	P/M	Rs.327.00	Rs.981.00
<b>TOTAL 'A'---</b>					<b>Rs.9,341.00</b>
<b>Part 'B' labour Cost (Classification of soil item 'A')</b>					
1	Boring by jet dheki by suitable cutter or reduce as the case may be lowering 40mm GI Pipe & 40mm dia UPVC pipe & strainer of standard quality iron shoe, plug & socket etc. all complete including providing all tools and plants required for the job as per specification and direction of the engineer in charge.				
	(i) 0 to 30.5m				
	(a) For 40 mm dia GI Pipe	26.0 M	P/M	Rs.96.72	Rs.2,514.72
2	Providing all labour & tools and fitting & fixing Shallow well hand pump over newly skunked T/Well all Complete.	1 No.	Each	Rs.46.00	Rs.46.00
5	Supplying labour and developing the T/Well to have sand free discharge all complete as per direction of E/I	1 No.	Each	Rs.354.25	Rs.354.25
6	Transportation of materials & tools from Store to work site and carrying back the surplus materials if any.	1 No.	Each	Rs.287.50	Rs.287.50
<b>TOTAL 'B'---</b>					<b>Rs.3,202.47</b>
<b>TOTAL 'A' + 'B' =</b>					<b>Rs.12,543.47</b>
<b>Add 1% labour cess (except cost of Platform &amp; drain)</b>					<b>Rs.97.03</b>
<b>Add 1% Contingency</b>					<b>Rs.125.43</b>
<b>Rs.12,765.94</b>					
<b>Cost of One No.T/well</b>				<b>Say</b>	<b>Rs.12,770.00</b>

*[Handwritten signature]*

*KLJ*  
*22/07/15*